

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 19/06/2025

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 18.06.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना बरेसर पुलिस द्वारा 01 अदद नाजायज तमंचा 7.62 एमएम मय 01 अदद जिंदा कारतूस 7.62 एमएम के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 18.06.2025 को थानाध्यक्ष बरेसर राजीव कुमार पाण्डेय मय हमराह व उ0नि0 मो0 रुस्तम खाँ द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर दहेन्दू पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अण्डरपास से अभियुक्त हरिओम जायसवाल पुत्र रमाकान्त जायसवाल उम्र 26 वर्ष निवासी चकजैनब थाना बरेसर को 01 अदद नाजायज तमंचा 7.62 एमएम मय 01 अदद जिंदा कारतूस 7.62 एमएम के साथ गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 121/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पता -

1. हरिओम जायसवाल पुत्र रमाकान्त जायसवाल निवासी चकजैनब थाना बरेसर जनपद गाजीपुर उम्र 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 121/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरेसर जनपद गाजीपुर ।
2. मु0अ0सं0 23/2025 धारा 351(3),352 बीएनएस थाना बरेसर जनपद गाजीपुर ।
3. मु0अ0सं0 46/2024 धारा 323,504,506 भादवि थाना बरेसर जनपद गाजीपुर ।
4. मु0अ0सं0 171/2021 धारा 323,504,506 भादवि व 3(1)द,ध एससी/एसटी एक्ट थाना बरेसर गाजीपुर ।

गिरफ्तारी का स्थान - दहेन्दू पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अण्डरपास

02. थाना दिलदारनगर तथा जीआरपी व आरपीएफ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 204 ली0 बियर व 39 ली0 अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 02 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 18.06.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना दिलदारनगर तथा जीआरपी व आरपीएफ पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर भक्सी रेलवे क्रासिंग के पास से अभियुक्तगण 1.पिन्टू कुमार पासवान पुत्र रमेश पासवान निवासी रूस्तमपुर थाना राघवपुर जिला वैशाली बिहार राज्य उम्र 22 वर्ष 2.राहुल पुत्र बृजनाथ निवासी ग्राम महेवा तिसौरा थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर के कब्जे से बियर गॉड फादर 323 पीस,किंगफिसर 42 पीस,टूबर्ग 24 पीस,वड् वाइजर 20 पीस व फ्रूटी ऑफीसर्स च्वाइस 96 पीस ,8PM 82 पाउच व अंग्रेजी शराब R.S 16 पीस (बोतल 750 ML) बरामद हुआ। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 117/2025 धारा 60 आबकारी अधि0 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता -

1.पिन्टू कुमार पासवान S/O रमेश पासवान नि0 रूस्तमपुर थाना राघवपुर जिला वैशाली बिहार राज्य उम्र 22 वर्ष 2.राहुल पुत्र बृजनाथ नि0 ग्राम महेवा तिसौरा थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर

अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 117/2025 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना दिलदारनगर गाजीपुर

बरामदगी - कुल 204 ली बियर एवं 39 ली अवैध अंग्रेजी शराब

03. “ श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा।”

दिनांक 18.06.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु०अ०स० -360/2022 धारा 323,504,354,506,376AB भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त अब्दुल मजिद पुत्र स्व0 अब्दुल अहमद निवासी सट्टी मस्जिद बडापुरा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को धारा धारा 5/6 पाक्सों एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25000 रुपये के अर्थदण्ड , धारा 354 भादवि में 03 वर्ष के साधारण कारावास तथा 5000 रुपये के अर्थदण्ड , धारा 506 भादवि में 02 वर्ष का साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर